

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## **कार्यालय आदेश**

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष स्तर के अधिकारी को तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर निम्नांकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित विद्यालय में प्रधानाचार्य उमावि के रिक्त पद पर किया जाता है :-

| क्र.सं | नाम कार्मिक श्री/श्रीमती | कहाँ से राउमावि                         | जिला  | कहाँ को राउमावि                                     | जिला      |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 1      | 2                        | 3                                       | 4     | 5                                                   | 6         |
| 1      | TEJA RAM PUROHIT         | AADARSH<br>GOVT.SR.SEC.SCHOOL<br>AKHRAD | jalor | GOVT. SR.SEC.SCHOOL<br>SHRI MOHANGARH,<br>JAISALMER | jaisalmer |

उक्त कार्मिक तत्काल नव पदस्थापित स्थान हेतु शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त होकर संबंधित विद्यालय में कार्यग्रहण करते हुए शाला दर्पण से संबंधित समस्त प्रकार की प्रविष्टियों का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावे। इन्हे नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

  
(नथमल डिडेल)

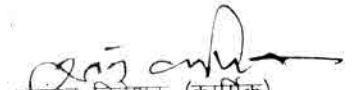
I.A.S.  
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान बीकानेर

दिनांक:- 08.08.2018

क्रमांक शिविरा/ मा/ संस्था/ बी-2/ 45002/ प्रधानाचार्य/ 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), राजस्थान सरकार जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. सम्बंधित उप निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
5. सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक को आवश्यक रूप से पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त आदेश में उल्लेखित कार्मिकों के कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करे।
7. संबंधित प्रधानाचार्य
8. सम्बंधित कार्मिक/संस्था प्रधान को पालनार्थ।
9. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)